MAINS MATRIX

विषय सूची

1. **राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान बहाल करना**
2. **क्या बिहार के अविकसित होने का कारण भू-आवेष्टित (लैंडलॉक्ड) होना है?**

राज्यों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना

1. परिचय

भारत के लोकतंत्र की आधारशिला **राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)** है। परंतु हाल के वर्षों में **ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance)** बढ़ा है — केंद्र की कर वसूली पर पकड़ मज़बूत हुई है जबकि राज्यों की व्यय जिम्मेदारियाँ लगातार बढ़ी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्यों की **वित्तीय स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना** एक महत्वपूर्ण विमर्श बन गया है।

2. मूल समस्या और संदर्भ

समस्या:
राज्यों पर बढ़ती कल्याणकारी अपेक्षाएँ, अवसंरचना की माँग और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति का दबाव उनके वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक है।

मुख्य कारण:
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से कराधान अधिकारों का केंद्रीकरण हुआ है, जिससे राज्यों की **वित्तीय स्वायत्तता और लचीलापन** घटा है।

3. प्रमुख घटनाक्रम एवं राज्यों की शिकायतें

GST मुआवज़ा समाप्ति:

- GST मुआवज़ा उपकर (Compensation Cess) की समाप्ति से राज्यों को मिलने वाला राजस्व सुरक्षा कवच खत्म हो गया है।
- कई राज्यों का तर्क है कि वास्तविक राजस्व हानि अनुमान से कहीं अधिक है और उनकी मुआवज़ा जारी रखने की माँग की अनदेखी की गई।

कराधान शक्तियों का केंद्रीकरण:

- GST के **गंतव्य आधारित कर (Destination-based Tax)** ढाँचे ने उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता राज्यों की ओर राजस्व का प्रवाह कर दिया है।
- **GST परिषद (Council)** में निर्णय लेने की शक्ति मुख्यतः केंद्र के पास है, जिससे संघीय ढाँचा और कमजोर हुआ है।

4. वित्तीय असंतुलन का विश्लेषण

राजस्व–व्यय असंतुलन:

- केंद्र का कुल कर राजस्व में हिस्सा: लगभग **67%**
- राज्यों का हिस्सा: लगभग **33%**
- व्यय पैटर्न: कुल सरकारी खर्च का **52%** राज्यों द्वारा किया जाता है — विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और कानून-व्यवस्था पर।

केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता:

- राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग **44%** हिस्सा केंद्रीय हस्तांतरण (कर बँटवारा + अनुदान) से आता है।
- इससे **निर्भरता** बढ़ती है और विपक्ष शासित राज्यों के प्रति **राजनीतिक भेदभाव** की आशंका बनी रहती है।

कर हस्तांतरण में कमी:

- विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं की तुलना में राज्यों को वास्तविक कर हस्तांतरण अक्सर कम मिला है, जिससे उनकी **तरलता (Liquidity)** और **वित्तीय योजना** प्रभावित हुई है।

---

5. संस्थागत तंत्र एवं उनकी आलोचनाएँ

वित्त आयोग (Finance Commission):

- संविधान द्वारा स्थापित निकाय जो केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है।
- राज्यों की शिकायतें: मानदंडों में **असंगति**, **प्रगतिशील राज्यों का दंड**, तथा **पारदर्शिता का अभाव**।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (CSS):

- कई CSS योजनाएँ राज्य सूची (State List) के विषयों में फैल गई हैं, जिससे यह **राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारियों पर अतिक्रमण** के रूप में देखा जाता है।
- इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाने की राज्यों की **लचीलापन क्षमता घटती है**।

---

6. आगे की राह

अन्य संघीय व्यवस्थाओं से सीख:

- **कनाडा** में प्रांतीय सरकारें कुल राजस्व का **54%** एकत्र करती हैं और **46%** व्यय करती हैं, जिससे उन्हें अधिक **वित्तीय स्वायत्तता** और **जवाबदेही** मिलती है।

राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना:

- **प्रगतिशील राज्य:** स्थानीय स्तर पर एकत्रित करों में अधिक हिस्सा बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है (जैसे व्यक्तिगत आयकर में साझेदारी)।
- **सभी राज्य:** स्थानीय जरूरतों के अनुसार सीमित **"टॉप-अप टैक्स"** लगाने की अनुमति।
- **वित्त आयोग सुधार:** इसे अधिक **पारदर्शी, सूत्र-आधारित और परामर्शात्मक** बनाया जाए।
- **CSS का पुनर्गठन:** योजनाओं को **ब्लॉक अनुदान (Block Grants)** और **परिणाम-आधारित निधि** के रूप में परिवर्तित किया जाए।

गतिशील वित्तीय ढाँचा:
वित्तीय प्रणाली को आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होना चाहिए ताकि राज्यों को **संवैधानिक जिम्मेदारियों** के अनुरूप पर्याप्त संसाधन मिलें।

---

7. निष्कर्ष

भारत का **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** तभी सशक्त होगा जब वह **विश्वास और लचीलापन (Trust and Flexibility)** पर आधारित हो।
राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना न केवल बेहतर **सार्वजनिक सेवा वितरण** के लिए आवश्यक है, बल्कि यह **लोकतांत्रिक जवाबदेही** को गहरा करती है और संविधान के अनुच्छेद 1 में निहित **"राज्यों का संघ"** की भावना को साकार करती है।
सच्ची प्रगति तब होगी जब राज्य केवल खर्च करने वाले नहीं, बल्कि **स्वयं अर्जित करने, नवाचार करने और निवेश करने वाले** बनें।

HOW TO USE IT

राजकोषीय स्थान (Fiscal Space) पर बहस संवैधानिक आदर्शवाद (भारत एक "राज्यों का संघ") और राजकोषीय केंद्रीकरण के बीच का संघर्ष है। यह राजस्व पर केंद्र के नियंत्रण और व्यय की जिम्मेदारी राज्यों पर होने के बीच के तनाव को उजागर करती है, जो सहकारी संघवाद को कमजोर करती है, क्षेत्रीय विकास को रोकती है और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन, संविधान, संघवाद)

1. भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना:

- **कैसे उपयोग करें:** यह मुद्दे का मूल है। बहस संविधान की संघीय भावना को साकार करने के बारे में है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **अनुच्छेद 1:** "राज्यों का संघ" वाक्यांश का उपयोग यह तर्क देने के लिए करें कि संविधान एक संघीय ढांचे की कल्पना करता है जहाँ राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं बल्कि शासन में भागीदार हैं।
  - **सातवीं अनुसूची:** असंतुलन स्पष्ट है: राज्य राज्य सूची (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि) के अधिकांश मदों के लिए जिम्मेदार हैं जो व्यय-गहन हैं, लेकिन उनके पास संबंधित राजस्व जुटाने की शक्ति का अभाव है।
  - **वित्त आयोग (अनुच्छेद 280):** इसके कामकाज की आलोचना करें। हालाँकि यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, राज्यों का आरोप है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है और कभी-कभी इसकी सिफारिशों का पूरी तरह से पालन नहीं

होता, जिससे पूर्वानुमेयता प्रभावित होती है।

2. केंद्र और राज्यों के कार्य और दायित्व, संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ:

- **कैसे उपयोग करें:** राजस्व बनाम व्यय पर डेटा एक दुष्क्रियात्मक संघीय ढाँचे का सीधा संकेतक है।
- **मुख्य बिंदु:**
    - **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन:** चौंका देने वाला डेटा—केंद्र ~67% कर एकत्रित करता है लेकिन राज्य ~52% व्यय वहन करते हैं—एक मौलिक निर्भरता पैदा करता है।
    - **केंद्रीकरण की शक्ति के रूप में जीएसटी:** हालाँकि जीएसटी ने कई करों को समाहित कर लिया, इसने राज्यों की अपनी जरूरतों के लिए कर दरों को समायोजित करने की स्वायत्तता भी छीन ली। जीएसटी परिषद, जहाँ केंद्र के पास वीटो की शक्ति है, को एक ऐसा मंच बताया जाता है जहाँ राज्यों की आवाज़ें दब जाती हैं।
    - **राजनीतिक भेदभाव:** केंद्रीय हस्तांतरण (राज्य के राजस्व का 44%) पर निर्भरता, केंद्र के लिए विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के साथ संभावित भेदभाव का एक उपकरण बनाती है, जो गैर-पक्षपातपूर्ण संघवाद की भावना का उल्लंघन है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था)

1. सरकारी बजट, संसाधनों का संग्रहण (मोबिलाइजेशन):

- **कैसे उपयोग करें:** यह एक क्लासिक सार्वजनिक वित्त और संसाधन जुटाने का मुद्दा है।
- **मुख्य बिंदु:**
    - **राज्यों पर राजकोषीय दबाव:** जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति ने एक सुरक्षा कवच हटा दिया है, जिससे उन राज्यों पर राजकोषीय दबाव और बढ़ गया है जो पहले से ही उच्च कल्याणकारी और बुनियादी ढाँचागत खर्चों से जूझ रहे हैं।
    - **केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS):** केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बढ़ते दायरे को राज्यों की राजकोषीय स्वायत्ता पर अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत करें। यह राज्यों को केंद्र द्वारा डिजाइन की गई योजनाओं पर खर्च करने के लिए मजबूर करती हैं, जो अक्सर एक ही आकार-सभी फिट आती है दृष्टिकोण वाली होती हैं, न कि स्थानीय रूप से प्रासंगिक प्राथमिकताओं पर।

क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण भू-अवरोध (Landlockedness) है?

---

1. भू-अवरोध की बहस

तर्क:

बिहार की भू-अवरोधित (Landlocked) भौगोलिक स्थिति को अक्सर एक प्राकृतिक बाधा के रूप में देखा जाता है — जिससे बंदरगाहों तक पहुँच कठिन हो जाती है और मखाना, लीची, मक्का और सब्जियों जैसे निर्यात योग्य उत्पादों के लिए परिवहन लागत बढ़ जाती है।

प्रति-तर्क:

केवल भू-अवरोधता विकास के परिणामों को निर्धारित नहीं करती।

तेलंगाना (हैदराबाद) और पंजाब जैसे भू-अवरोधित राज्य दिखाते हैं कि प्रभावी अवसंरचना, विविधीकृत अर्थव्यवस्था और कुशल मानव पूंजी भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती हैं।

मनीन्द्र नाथ ठाकुर (MT) यह स्वीकार करते हैं कि नाशवंत वस्तुओं के निर्यात में तार्किक (logistical) चुनौतियाँ हैं, पर यह बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण नहीं है।

आर. नागराज (RN) भी सहमत हैं कि अन्य भू-अवरोधित राज्यों ने नीतिगत और संस्थागत सुधारों से ऐसी सीमाओं को पार किया है।

निष्कर्ष:

भू-अवरोधता एक *द्वितीयक बाधा* है — यह बिहार की कमजोरियों को बढ़ाती है, पर उनकी जड़ नहीं है।

---

2. कृषि की दुविधा

वर्तमान स्थिति:

बिहार की लगभग 80% कार्यबल कृषि में संलग्न है, फिर भी उत्पादकता और आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

विभिन्न दृष्टिकोण:

MT (उद्योग समर्थक):

कहते हैं कि "कोई भी समाज केवल कृषि पर नहीं टिक सकता।" बिहार को दीर्घकालिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण और कृषि-प्रसंस्करण (agro-processing) की ओर बढ़ना होगा।

RN (कृषि सुधार समर्थक):

प्रश्न उठाते हैं कि उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद कृषि ठहरावग्रस्त क्यों है। राज्य को सिंचाई, अवसंरचना और मूल्यवर्धित फसलों में निवेश बढ़ाना चाहिए।

सावधानी:

MT पंजाब के हरित क्रांति मॉडल की नकल के विरुद्ध चेतावनी देते हैं — जिससे जल का

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

दोहन और रासायनिक प्रदूषण जैसी समस्याएँ बढ़ीं।

निष्कर्ष:

मुख्य समस्या बिहार के *संरचनात्मक रूपांतरण (structural transformation)* की विफलता में है — अर्थात् कृषि से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर संक्रमण का अभाव।

---

3. पिछड़ेपन के मूल कारण

(a) ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारक (MT)

- **जमींदारी से पूँजीवाद की अटकी संक्रमण प्रक्रिया:** बिहार न तो सामंती ढाँचे से मुक्त हुआ, न ही आधुनिक पूँजीवादी ढाँचा बना पाया।
- **आंतरिक उपनिवेशीकरण:** बिहार ने कच्चा माल उपलब्ध कराया, पर मूल्यवर्धन और उद्योग दूसरे राज्यों में हुआ।
- **श्रम आपूर्तिकर्ता:** सस्ती श्रमिक आपूर्ति अन्य राज्यों को लाभ देती है, जिससे स्थानीय औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरणा घटती है।

(b) नीतिगत और अवसंरचनात्मक कमियाँ (RN)

- **फ्रेट कॉरिडोर पूर्वाग्रह:** पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा (Eastern DFC) बिहार से होकर नहीं गुज़रा, जिससे लॉजिस्टिक लागत ऊँची रही।
- **प्रोत्साहन की कमी:** बड़े पैमाने पर पलायन के कारण राज्य पर स्थानीय रोज़गार सृजन का दबाव घटा। RN बताते हैं कि जब स्थानीय कृषि निवेश बढ़ता है, तो पलायन घटता है — यह अवसंरचना और जन-धारण के बीच संबंध दिखाता है।

(c) वैचारिक और राजनीतिक कारक

- **RN का दृष्टिकोण:** "समाजवादी हैंगओवर" — बिहार की राजनीति उत्पादन से अधिक पुनर्वितरण (redistribution) पर केंद्रित रही है।
- **MT का दृष्टिकोण:** बिहार न तो प्रभावी रूप से समाजवादी हुआ, न ही पूँजीवादी परिवर्तन के साथ तालमेल बैठा पाया।
- **पहचान की कमी:** "बिहारी" पहचान की सामूहिक चेतना का अभाव विकासात्मक दबाव को कमजोर करता है।

---

4. विशेष राज्य का दर्जा (Special Category Status) का प्रश्न

RN (संशयपूर्ण दृष्टिकोण):

- **क्षमता की समस्या:** बिहार के पास विशेष निधियों का प्रभावी उपयोग करने की प्रशासनिक दक्षता नहीं है।
- **वित्तीय उपयोग:** वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान अक्सर संस्थागत अक्षमता या प्रदर्शन-आधारित शर्तें न पूरी करने के कारण समाप्त हो जाते हैं।

MT (शर्तसहित समर्थन):

- **संभावित लाभ:** विशेष दर्जा राज्य के वित्तीय दबाव को कम कर सकता है क्योंकि इसमें 'matching share' की आवश्यकता घट जाती है।
- **शासन की पूर्वशर्त:** असली लाभ तभी मिलेगा जब नौकरशाही, ठेकेदारों और राजनेताओं के "elite capture" को रोका जाए।

निष्कर्ष:

वित्तीय प्रोत्साहन तभी कारगर होंगे जब शासन क्षमता और संस्थागत सुधार एक साथ हों।

5. प्रमुख बाधाएँ – सारांश

श्रेणी	प्रमुख बाधाएँ
भौगोलिक	भू-अवरोधता से नाशवंत वस्तुओं के परिवहन की लागत बढ़ती है।
आर्थिक	कृषि पर अत्यधिक निर्भरता; औद्योगिक संक्रमण की विफलता; "आंतरिक उपनिवेशीकरण।"
अवसंरचना	कमजोर संपर्क; फ्रेट कॉरिडोर से बहिष्करण; सीमित लॉजिस्टिक और ऊर्जा नेटवर्क।
शासन और राजनीति	अभिजात वर्ग का नियंत्रण; कमजोर प्रशासनिक क्षमता; पुनर्वितरण-केन्द्रित राजनीति।
सामाजिक	बड़े पैमाने पर पलायन; "बिहारी" पहचान की कमी; विकास के लिए सामूहिक दबाव का अभाव।

6. निष्कर्ष

बिहार का पिछड़ापन मुख्यतः इसकी भू-अवरोधित स्थिति का परिणाम नहीं है। वास्तविक कारण ऐतिहासिक उपेक्षा, संरचनात्मक ठहराव, कमजोर शासन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं में निहित हैं। भूगोल बाधाएँ पैदा कर सकता है, परंतु निर्णायक भूमिका दूरदर्शी शासन, मानव पूंजी निवेश और संस्थागत सुधार की होती है।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

यही बिहार के आर्थिक पुनरुत्थान की वास्तविक कुंजी है।

HOW TO USE IT

बिहार की समस्या किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, शासन-व्यवस्था की विफलताओं और भौगोलिक सीमाओं के जटिल परस्पर संबंध का परिणाम है। यह क्षेत्रीय विकास, संघवाद (Federalism) और भौगोलिक नियतिवाद (Determinism) की सीमाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है।

🔷 **मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper I (भारतीय समाज एवं भूगोल)**

1. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता

कैसे उपयोग करें:

"एकीकृत बिहारी पहचान का अभाव" और "उत्पादन के स्थान पर पुनर्वितरण की राजनीति" वे प्रमुख समाजशास्त्रीय तत्व हैं जो बताते हैं कि सामूहिक विकास के लिए राज्य में एकजुटता क्यों नहीं बनी।

मुख्य बिंदु:

- सामाजिक संरचनाएँ और राजनीतिक लामबंदी जाति और समुदाय के इर्द-गिर्द घूमती रही हैं, न कि विकासात्मक एजेंडा के।
- इससे राज्य की आर्थिक दिशा बिखरी रही, क्योंकि समाज का ध्यान समान विकासात्मक दृष्टि के बजाय विभाजक पहचानों पर केंद्रित रहा।

2. महिलाओं की भूमिका एवं महिला संगठन

कैसे उपयोग करें:

पुरुष श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन ने महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है — इससे कृषि का स्त्रीकरण (feminization of agriculture) बढ़ा है और महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

इसे व्यापक सामाजिक प्रभावों से जोड़ा जा सकता है — जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लैंगिक असमानता और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ।

3. प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण

कैसे उपयोग करें:

भूगोल के तर्क का खंडन करते हुए यह दिखाएँ कि बिहार के पास उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन हैं।

समस्या संसाधनों की *कमी* नहीं बल्कि *उनके अपर्याप्त उपयोग* की है — जो शासन और नीतिगत अक्षमता का संकेत है।

🔷 **मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper II (शासन, संविधान, सामाजिक न्याय)**

1. भारतीय संविधान — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघवाद

कैसे उपयोग करें:

विशेष राज्य दर्जा (Special Category Status - SCS) की माँग भारतीय संघवाद में एक जीवंत मुद्दा है।

मुख्य बिंदु:

- **मनीन्द्र नाथ ठाकुर (MT)** के अनुसार, SCS से बिहार को वित्तीय राहत मिल सकती है।
- **आर. नागराज (RN)** का कहना है कि यदि शासन में "elite capture" और प्रशासनिक अक्षमता दूर नहीं की गई, तो विशेष दर्जा भी परिवर्तनकारी नहीं होगा।
- यह दिखाता है कि *संवैधानिक उपकरण* तभी प्रभावी होते हैं जब *सुशासन (good governance)* सुनिश्चित हो।

2. विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग

कैसे उपयोग करें:

बिहार "feudalism से capitalism" की *जमी हुई संक्रमण अवस्था (frozen transition)* का उदाहरण है।

मुख्य बिंदु:

- **आंतरिक उपनिवेशीकरण (Internal Colonization):** बिहार ने कच्चा माल और सस्ता श्रम दिया, पर मूल्यवर्धन अन्य राज्यों में हुआ — जिससे निरंतर पिछड़ापन बना रहा।
- **कल्याण बनाम उत्पादन:** बिहार की राजनीति "समाजवादी हैंगओवर" से ग्रस्त रही — जहाँ फोकस उत्पादक निवेश (उद्योग, अवसंरचना) की बजाय पुनर्वितरण (welfare schemes) पर रहा।
- यह *विकास की राजनीति बनाम राजनीतिक विकास* (politics of development vs. development of politics) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

🔷 **मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper III (अर्थव्यवस्था, कृषि, अवसंरचना)**

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास, संसाधनों का संmobilization

कैसे उपयोग करें:

यह बिहार के आर्थिक विकास की असफलता का *मुख्य विश्लेषण बिंदु* है।

मुख्य बिंदु:

- **संरचनात्मक रूपांतरण की विफलता:** लगभग 80% कार्यबल निम्न

उत्पादकता वाली कृषि में अटका हुआ है।

- राज्य उद्योग और उच्च-मूल्य सेवाओं में संक्रमण करने में असफल रहा है।
- **पलायन एक लक्षण और कारण दोनों:** बड़े पैमाने पर पलायन राज्य पर रोज़गार सृजन का दबाव घटाता है (जैसा RN बताते हैं), जिससे यह एक दुष्चक्र बन जाता है।

2. कृषि

कैसे उपयोग करें:

"कृषि की दुविधा (Agricultural Conundrum)" बिहार के विकास संकट का केंद्र है।

मुख्य बिंदु:

- **MT का दृष्टिकोण:** परंपरागत खाद्यान्न फसलों की जगह मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों (जैसे मखाना, लीची) की ओर रुख करना चाहिए और इनके लिए कृषि-प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने चाहिए।
- **RN का दृष्टिकोण:** सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला में राज्य निवेश की आवश्यकता है।
- पंजाब मॉडल की रासायनिक-आधारित हरित क्रांति की नकल से बचने की चेतावनी दी गई है।

3. अवसंरचना — ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेल इत्यादि

कैसे उपयोग करें:

पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे (Eastern Dedicated Freight Corridor - EDFC) का बिहार से होकर न गुजरना एक गंभीर अवसंरचनात्मक कमी है, जिसने इसके भू-अवरोधित नुकसान को और बढ़ाया है।

MENTORA IAS

TO JOIN OUR ANSWER WRITING PROGRAMME IN HINDI
VISIT – WWW.MENTORAIAS.CO.IN